रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181

No. 213] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 181

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 26/2018-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(26)/वित्त (राज-1)/2019-20/डीएस-VI/391.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंत:राज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा-संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि;—

(i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।

(ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी ।

(iii) जहां कि शर्त (ii) यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले **राज्य** कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा ।

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813(अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है ।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारणके भाग I, खंड 1, फा. सं.01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है ।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 785(अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित की सूची 34 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट शीर्षक से है ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 26/2018–State Tax (Rate)

F. No. 3(26)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/391.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, to a registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the State Tax leviable thereon, under section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:—

(i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;

(ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of

export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency.

(iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of State Tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when the said tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation.—for the purpose of this notification,-

(a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 41/2015-2020, dated the 05th December, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 05th December, 2017;

(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 05th December, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/ 333/AM 15/PC, dated the 05th December, 2017;

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 34 of Notification No. 50/2017-Customs dated the 30th June 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.09.05 22:00:16 +05'30'